रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 333] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1972/आषाढ़ 24, 1894

No. 333] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1972/ASADHA 24, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDERS

New Delhi, the 15th *July* 1972

S.O. 487(E).—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Hindustan Copper Limited, Khetri Copper Project, Post Office Khetri Nagar, District Jhunjhunu (Rajasthan) and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Mohd. Yaqoob Khan shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Hindustan Copper Limited, Khetri Copper Project, Post Office Khetri Nagar, District Jhunjhunu (Rajasthan) in terminating the services of Shri Y. K. Gaur, Mining Mate, with effect from 23rd December, 1971 is justified? If not, to what relief is he entitled?"

[No. L-29012/19/72-LRIV.(I).]

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1972

का० आ० 487(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, खेतरी कौपर प्रोजेक्ट, डाकघर खेतरीनगर, जिला झुनझुनू (राजस्थान) के प्रबंध से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और यत: केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अत:, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद याकूब खां होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड, खेतरी कौपर प्राजेक्ट, डाकघर खेतरीनगर, जिला झुनझुनू (राजस्थान) के प्रबंधकों की श्री वाई० के० गौड़, माईनिंग मेट की सेवाओं को 23 दिसम्बर, 1971 से, समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल-29012(19)/72-एल०आर०-4(1)]

S.O. 487-A(E).—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. L-29012/19/72-LRIV(I) dated the 15th July, 1972, an industrial dispute between the employers in relation to the management of Hindustan Copper Limited, Khetri Copper Project, Post Office Khetri Nagar, District Jhunjhunu (Rajasthan), and their workmen has been referred to the Presiding Officer, Industrial Tribunal, Jaipur, for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section (3) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of the strike in existence in the said establishment in connection with the said dispute.

[No. L-29012/19/72-LRIV.(II).]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

का० आ० 487-ए(अ).—यत: हिन्दुस्तान कौपर लिमिटेड, खेतरी कौपर प्रोजेक्ट, डाकघर खेतरी नगर, जिला झुनझुनू (राजस्थान) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान औद्योगिक विवाद को भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार

विभाग) के आदेश संख्या एल–29012/19/72–एल० आर०–4(1), दिनांक 15 जुलाई, 1972 द्वारा पीठासीन अधिकारी औद्योगिक अधिकरण, जयपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किया गया है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त प्रतिष्ठान में उक्त विवाद से सम्बन्धित विद्यमान हड़ताल को निषिद्ध करती है।

[सं० एल–29012/19/72–एल० आर०–4(II)]

वी० शंकरालिंगम, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972